107

CANCELLED

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर (म.प्र.)

निगरानी - 5805/2018/पन्ना/भू.रा.

(1) जाहर सिंह पिता अर्जुन सिंह

(2) लखन सिंह पिता अर्जुन सिंह

दोनों निवासी ग्राम पिपरिया कलॉ बाराहों

तह.शाहनगर जिला पन्ना (म.प्र.)

......रिवीजनकर्तागण/आवेदकगण

B.O.R.
04 SEP 2018

विरूद्ध

(1) मु.अवधरानी वेबा उजियार सिंह

(2) कुन्नी सिंह पिता उजियार सिंह

(3) हीरासिंह पिता उजियार सिंह

(4) पहलवान सिंह पिता उजियार सिंह

(5) हरनाम सिंह पिता उजियार सिंह

(6) मु.देशरानी वेबा ज्ञान सिंह

(7) साहब सिंह पिता ज्ञान सिंह

(8) दरोगा सिंह पिता ज्ञान सिंह

(9) खजान सिंह पिता ज्ञान सिंह

सभी निवासी पिपरियां बाराहो तह.शाहनगर जि.पन्ना (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

रिवीजन प्रकरण क्र.

रिवीजन तरफ से रिवजीनकर्तागण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहित 1959

171
13/9/18

रिवीजनकर्तागण नीचे लिखे अनुसार प्रार्थना करते हैं :-

यह कि रिवीजनकर्तागण विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय शाहनगर जिला पन्ना के अपील प्रकरण क्रमॉक 49/अपील/2016-17 पक्षकार जाहर सिंह विरूद्ध मु.अवधरानी बगैरह में पारित आदेश दिनॉक 30.6.2018 से परिवेदित होकर अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर यह रिवीजन प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि माननीय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 30.6.2018 सर्वथा गैरकानूनी, अनुचित एवं निराधार होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

........2

//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5805/2018/पन्ना/भू.रा. जाहरसिंह विरूद्ध अवधरानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर के प्रकरण क्रमांक 49/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30-06-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-09-2018 को अपील याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

(आर.के. जैन) 4.1.19
सदस्य